इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 582] भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2011—पौष 3, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

क्र. 7483-450-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४० सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) अधिनियम, २०११

[दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की अनुसूची १ में अन्तर्विष्ट कतिपय माल के संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्य करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) अधिनियम, २०११ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. (१) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की अनुसूची १ में, अनुक्रमांक ४८ तथा ४९ में अन्तर्विष्ट माल के विवरण अर्थात् क्रमश: फैब्रिक्स तथा शक्कर का संशोधन करने वाली मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-ए-३-४६-२०११-१-पांच (७२), दिनांक २७ सितम्बर, २०११ जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है), ८ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी. **अनुसूची १ के भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन का तथा उसके अधीन की गई कार्रवाइयों तथा बातों का विधिमान्यताकरण.**

(२) अधिसूचना में अंतर्विष्ट संशोधनों के अनुसरण में की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई के बारे में यह और सदैव यही समझा जाएगा कि वह ८ अप्रैल, २०११ से विधिमान्यत: की गई बात या की गई कार्रवाई है.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

क्र. 7484-450-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 40 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 40 of 2011

THE MADHYA PRADESH VAT AMENDMENT (VALIDATION) ACT, 2011

[Received the assent of the Governor on the 22nd December, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 24th December, 2011.]

An Act to validate the amendment of certain goods contained in Schedule I to the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 with retrospective effect.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Second year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vat Amendment (Validation) Act, 2011.

Validation of amendment of Schedule I with retrospective effect and actions taken and things done thereunder.

2. (1) The notification No. F-A-3-46-2011-1-V(72), dated 27th September, 2011 of the Commercial Taxes Department Government of Madhya Pradesh, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on the same date (hereinafter referred to as the notification), amending the description of goods contained in serial numbers 48 and 49 that is Fabrics and Sugar respectively, in Schedule I to the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) shall be deemed to have come into force with effect from 8th April, 2011.

(2) Anything done or any action taken in pursuance of the amendments contained in the notification shall be and shall always be deemed to have been validly done or taken with effect from 8th April, 2011.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.